

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जयपुर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प जयपुर

आदेश:-

ग्रामी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं प्रतयारी जयपुर व मूअनि जयपुर
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार अमि / नायब तहसीलदार अमि की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सायरी देवी तहसील जयपुर व जिला जयपुर
 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाता संख्या 12, 54, 56, 57 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कडी बरजाल</u>	12	<u>सायरी देवी पुत्री नाथु सिंघ</u>	<u>सायरी देवी पुत्री नाथु सिंघ</u>
		54	— " —	— " —
		56	— " —	— " —
		57	— " —	— " —

(Am)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक लोक अदालत एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्द

क्रमांक :- 125/292

दिनांक :- 11/10/2025

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार अमि को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- ग्रायी श्री सायरी देवी पुत्री नाथु सिंघ को सूचनायें।
- रहित पत्रावली।

(Am)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्द